

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

दावा संख्या	पीठासीन अधिकारी:-	साधुराम जाट, आर.ए.एस.
90/17	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
	02.05.2017	30.08.2018

1 छोटेलाल पुत्र दूलाराम जाति जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर -

वादी-

बनाम

- 1 महावीर पुत्र लखीचन्द
- 2 सरवण पत्नि लखीचन्द
- 3 ईश्वर
- 4 अनिल पुत्रान गुलाबसिंह
- 5 मिश्रो पत्नि गुलाब
- 6 जलेशिंह पुत्र रामजीलाल
- 7 भरत सिंह पुत्र चन्द्रर जातियांन जाट निवासी जाटबहरोड तह0मुण्डावर हाल आबाद 5 क 3 शिवाजी पार्क अलवर
- 8 शेरसिंह
- 9 रोहिताश पुत्रान चन्द्रर जातियांन जाट निवासी जाटबहरोड तह0मुण्डावर
- 10 सरबो पुत्री हरदयाल जाति जाट निवासी जाटबहरोड तह0मुण्डावर हाल पत्नि महेन्द्र सिंह ग्राम पो0 अन्दपुर तह0 बावल जिला रेवाड़ी, हरियाणा
- 11 राज्य सरकार जर्गे लैण्ड होलडर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

असल प्रतिवादीगण-

- 12 कृष्ण
- 13 राजसिंह
- 14 संदीप
- 15 जयप्रकाश पुत्रान बोबड
- 16 कंवर सिंह पुत्र बसंता जातियांन जाट निवासी जाटबहरोड तह0मुण्डावर

तर0प्रतिवादीगण-

दावा-अन्तर्गत धारा 188,89

.....प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री शोभाराम चौधरी एडवोकेट की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 30.08.2018 को साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

आराजी ख0न0 839 रकबा 0.23 हैक्0 वाके ग्राम जाटबहरोड मे से रकबा 4 बिस्वा यानि 0.05 हैक्0 कम किया जाकर ख0न0 839 का रकबा 0.18 हैक्0 किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त 4 बिस्वा यानि 0.05 हैक्0 रकबे को हाल ख0न0 838 रकबा 0.14 हैक्0 मे जोड कर हाल ख0न0 838 का रकबा 0.19 हैक्0 वाके ग्राम जाटबहरोड तहसील मुण्डावर,जिला अलवर दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे”

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.08.2018 मे मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(साधुराम जाट) 30/8/18
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज0